राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 152वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 29.03.2022 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 152वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित की गई। जिसमें श्री सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री के. के.पाठक, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं राज्य मिशन निदेशक, आरजीएवीपी, राजस्थान सरकार, श्री मुक्तानन्द अग्रवाल, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, श्री महेंद्र कुमार पारेख, आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार, श्री रामवतार मीणा, प्रबंध निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर, श्री रोहित पी. दास, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री मुकेश कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, श्री महेंद्र सिंह महनोत, संयोजक, एसएलबीसी राजस्थान और महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री एन. के. सेठी, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 152वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की एवं सदन को सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा दिसंबर 2021 त्रैमासिक में 7 उप समितियों की बैठक आयोजित की गयी एवं स्टियरिंग समिति की सोलहवीं (16th) बैठक का आयोजन दिनांक 15.03.2022 को किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची एवं नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 152वीं बैठक के लिए संक्षिप्त एवं सुगठित कार्यसूची को तैयार किया जाना था।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समिति के अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक के मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का का स्वागत किया।

उन्होने बताया कि राज्य में बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्यो की एसएलबीसी की उप-समितियों की बैठकों में विभिन्न मानकों के तहत समीक्षा की जाती है जिसके लिये एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें साथी बैंकर्स, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैंकिंग से संबंधित नीतिगत मामलों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे की राह पर चर्चा होती है। उन्होने आज चर्चा के लिए सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा के बाद निर्णय की आशा जताई।

उन्होने बताया कि भारत देश के उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में विकास की काफी संभावनाएं हैं। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हाल के व्यापक सुधारों के साथ, समग्र कारोबारी माहौल में सुधार हो रहा है। इसके अलावा, हाल के महीनों के दौरान निर्यात का महत्वपूर्ण रहा है और वैश्विक आर्थिक सुधार से और अधिक लाभान्वित होने की संभावना है। महामारी की तीसरी लहर भी अब हमारे पीछे है। इस प्रकार, आशावाद के आगे बढ़ने का एक अच्छा कारण है।

उन्होने SLBC की पिछली बैठक के बाद हुई कुछ गतिविधियों पर प्रकाश डाला:

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.01.2022 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि 96 गाँव जो पहले 5 किलोमीटर के दायरे में किसी एक बैंकिंग टच प्वाइंट द्वारा कवर किए गए थे, अब बैंकिंग सुविधा रहित हो गए है। यह मौजूदा बैंकिंग टच प्वाइंट को बंद होने अथवा फिर से पूर्व में स्थापित बैंकिंग टच प्वाइंट के अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है। उक्त गाँवों में से 78 गांवों में बैंकिंग टच प्वाइंट उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूदा बैंकिंग टच प्वाइंट को बंद करने या स्थानांतरित करने से पहले, यह सुनिश्चित करे की कोई भी स्थान / गाँव बैंकिंग सुविधा से वंचित ना हो व निरंतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध रहे।

  (कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

  उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि शेष गांवों को संबंधित बैंकों द्वारा जल्द से जल्द कवर की नियमित सघन निगरानी रखे ।

  (कार्यवाही : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)

- 28 फरवरी 2022 तक, राजस्थान राज्य में 3 करोड़ (3.13 करोड़) PMJDY खाताधारक है। साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे "जन सुरक्षा योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान" के तहत प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है, जिसके तहत सभी परिवारों के वयस्क के बैंक खाते होने चाहिए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होने बताया कि जनसुरक्षा योजना के तहत प्रगति अपेक्षित नहीं है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि आगे समयबद्ध तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति ग्राहकों का नामांकन मिशन मोड में पूरा करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने इस संदर्भ में, NABARD द्वारा ब्लॉक / ग्राम स्तर पर मासिक शिविर आयोजित करने के लिए किए गए खर्च के लिए रु 6,000 व ज़िला स्तरीय शिविर आयोजित करने के लिए रु 15,000 की प्रतिपूर्ति के लिए की गई पहल की सराहना की। यह योजना 31 मई, 2022 तक वैध है। उन्होने सभी सदस्य बैंकों से इस विशेष योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया ताकि राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए, माननीय मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्य महिलाओं को जोड़कर राजीविका के माध्यम से जयपुर में महिला सहकारी बैंक-राजस्थान महिला निधि की स्थापना की बजट घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से सदस्यों को उनकी दैनिक जरूरतों और स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध होगा। 50 करोड़ रुपये का कोष अगले दो वर्षों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्होने राज्य में महिला एसएचजी सदस्यों के लाभ के लिए उक्त योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया।

- SVAMITVA योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी आवासीय संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के विस्तार की जबरदस्त क्षमता है। उन्होने बताया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंकों और राज्य सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है। उन्होने बताया की कई अन्य राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने में सक्रिय रही हैं और हमसे काफी आगे हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार से राज्य स्तर पर SVAMITVA योजना को औपचारिक रूप देने का अनुरोध किया।

  (कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

उन्होने इस संदर्भ में फिर राज्य सरकार से अनुरोध किया कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58 (एफ) के तहत केरल, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी क्षेत्रों को अधिसूचित करने पर विचार करें जो बैंकों के लिए सभी निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों यानी सभी जिलों, कस्बों, तालुका और गांवों में सामयिक बंधन (Equitable Mortgage) बनाने को सुविधाजनक बनाएगी ताकि राजस्थान में बड़ी संख्या में ग्रामीण / गैर-अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के आवेदक, बैंकों से परेशानी मुक्त ऋण प्राप्त कर सकें।

(कार्यवाही: मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)

- केंद्रीय बजट के अनुसार, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत कवर को बढ़ाकर 5,00,000/- करोड़ रुपये कर दिया गया है और योजना अब मार्च 2023 तक उपलब्ध है। यह योजना COVID महामारी के प्रहार से निपटने में एमएसएमई के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। उन्होने सभी बैंकों से एमएसएमई क्षेत्र के लाभ के लिए और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

- EWS और LIG श्रेणियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) 31.03.2022 को समाप्त हो रही है, इसलिए बैंकों से अपील कि वे संबंधित केंद्रीय नोडल एजेंसियों को जल्द से जल्द पीएमएवाई दावे प्रस्तुत करें, ताकि पात्र ग्राहकों को योजना का लाभ मिल सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य के प्रमुख व्यापारिक संकेतकों की बात करते हुये उन्होने दिसंबर, 2021 तक राज्य का सीडी (CD) अनुपात लगभग 85% होने पर जो कि आरबीआई के बेंचमार्क से काफी ऊपर है, खुशी प्रकट की। दिसंबर 2021 तक वार्षिक साख योजना (ACP) के तहत उपलब्धि, वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 75% रही जिसके लिये उन्होने सभी बैंकर्स को बधाई दी। साथ ही उन्होने बताया कि आज की बैठक में जमा, ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई एवं अन्य पेरामीटर्स पर चर्चा की जायेगी।

निम्नलिखित प्रकरणों जहां बैंकर्स को राज्य सरकार से समर्थन की आवश्यकता होती है को सदन को अवगत करवाया:

- विभिन्न जिलों में RSETI के लिए भूमि आवंटन का मामला राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर लगभग 7-8 वर्षों से लंबित है। अतः उन्होने पुनः अनुरोध किया कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द निपटान किया जाए। साथ ही उन्होने प्रसन्नता व्यक्त कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आर-सेटी (RSETI) परिसर के निर्माण के लिए प्रायोजक बैंकों को अनुदान सहायता को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है। यह सभी आर-सेटी के लिए स्वतंत्र परिसर के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि जहां भी RSETI को भूमि आवंटन शेष है अथवा आवंटित भूमि में कोई समस्या है तो उक्त समस्याओं को यथाशीघ्र दूर किये जाए।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

- Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974 (RACO-ROD Act) के तहत लगभग राशि रु. 2,900 करोड़ के 1.35 लाख RODA मामले जिला/ ब्लॉक स्तर पर लंबित हैं, जिनमें से रू. 1,700 करोड़ से अधिक की राशि के 83,000 से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। इस संबंध में सभी बैंकों को अपने NPA वसूली के प्रयासों में आवश्यक सहयोग की आवश्यकता है ताकि बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रवाह में प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, वह जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा SARFAESI अधिनियम के मामलों में अनुमति देने में असामान्य देरी होने का है। इस संबंध में, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निपटान करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी भी राज्य में 300 करोड़ रूपये से अधिक की राशि के 950 मामले जिला अधिकारियों के स्तर पर लंबित हैं जिनमें से में लगभग रु. 190 करोड़ की राशि के 600 से अधिक मामले 60 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। RACO (ROD) Act और SARFAESI अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में वसूली को गति देने के लिए, यह सुझाव दिया कि राज्य में एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- बैंक शाखा परिसर में Glow Sign Board प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट का मामला काफी समय से लंबित है। अतः इस संबंध में भी उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इसका निपटान शीघ्र किया जाए।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

अंत उन्होने राज्य में विकास के लक्ष्य को हासिल करने में समन्वय करने हेतु राज्य सरकार, RBI, NABARD, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होने श्री महेंद्र सिंह महनोत जी, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा को, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के कार्यकाल के दौरान एसएलबीसी की बैठकों को सफलतापूर्वक आयोजित करने में किए गए सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और एसएलबीसी, राजस्थान की ओर से एक बहुत ही खुशहाल, शांतिपूर्ण और स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

साथ ही उन्होने श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर जो कि 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को भी मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर के रूप में राज्य के समग्र विकास में योगदान

के लिए धन्यवाद दिया और उनकी सेवानिवृत्ति पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और एसएलबीसी, राजस्थान की ओर से उन्हें एक बहुत ही खुशहाल, शांतिपूर्ण और स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य सदस्यों व बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का अभिनंदन किया। उन्होने बताया कि राजस्थान राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के दायरे में आने वाले सभी पैमानों में प्रगति संतोषजनक है, जिसके लिए उन्होंने सभी बैंकर्स को बधाई दी।

उन्होंने बताया कि देश व राज्य के आर्थिक विकास तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिनमें सभी हितधारकों का सहयोग अपेक्षित है:

- **एमएसएमई वर्ग**- एमएसएमई अवसंरचना राजस्थान के विकास में अंतर्निहित है। यह राज्य में व्यापार और घरेलू आय का प्रमुख हिस्सा है। फिर भी हम राज्य में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत दूर हैं। बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सुविधा और सहायता प्रदान करने में अधिक तत्पर होना चाहिए, जो न केवल सामाजिक उत्थान में बल्कि उन बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **वित्तीय समावेशन**- वित्तीय समावेशन का उद्देश्य राज्य के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना और वित्तीय संकट के समय उनकी सहायता करना है। इसलिए वित्तीय समावेशन जितना अधिक होगा, राज्य आर्थिक रूप से उतना ही मजबूत बनेगा। इसे देखते हुए उन्होंने बैंकों से 'जन सुरक्षा योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान' के लक्ष्यों को गंभीरता से लेने, उन्हें प्राप्त करने के लिए उचित रोडमैप तैयार करने और इस दिशा में निरंतर श्रम करने का अनुरोध किया।
- **डिज़िटाइज़ेशन**- उन्होंने सभी बैंकर्स से आग्रह किया कि वे अपने कामकाज के एक अभिन्न अंग के रूप में डिजिटलीकरण को अपनाएं जिससे उनका एवं आमजन का दिन-प्रतिदिन का काम आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगा और साथ ही बैंकिंग के कार्यों में पारदर्शिता प्रदान करेगा। उन्होंने आग्रह किया कि सभी बैंकिंग कार्य, लेन-देन और ग्राहक सेवा 100% डिजिटल के कार्ययोजना बनाएं।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

आयुक्त उद्योग, राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य सदस्यों व समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का अभिनंदन किया।

उन्होने बताया कि आज छोटे- छोटे गाँव तक बैंकों की पहुँच है। हम अपने जीवन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए बैंकों पर निर्भर हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास का पूरा वातावरण इस पर निर्भर करता है कि बैंकर्स कितनी तत्परता से नवोदित उद्यमी व स्थापित उद्यमियों को उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं में समय रहते योगदान प्रदान करते हैं।

आगे उन्होने बताया कि केन्द्र/राज्य सरकार की दो प्रमुख योजनाएँ हैं-

- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का मुख्य उद्देश्य नए उद्यमी एवं व्यवसायियों को अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए मार्जिन मनी के माध्यम से प्रेरित करते हुये उनका कार्य प्रारम्भ में योगदान प्रदान करना है। उन्होने उक्त योजना में पिछले दो-तीन सालों में राज्य में 100 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य अर्जित करने पर बैंकों के योगदान कि सराहना की। किन्तु साथ ही उन्होने योजना के अंतर्गत राज्य में हुये कार्य पर टिप्पणी करते हुये बताया कि अधिकांश बैंक शाखाओं को प्राप्त आवेदनों की तुलना में स्वीकृत किये गए आवेदनों की संख्या बहुत कम हैं।
- इस संबंध में उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न बैंकों में 8,850 ऋण आवेदन प्रेषित किये गए जिनमे से 4,772 (लगभग 54%) आवेदन अस्वीकार कर दिये गए। अर्थात राजस्थान में अस्वीकृति प्रतिशत बहुत अधिक है।

  उन्होने बैंकों से उनके द्वारा अस्वीकृत किये गए आवेदनों का प्राप्त किया आवेदनों के सापेक्ष प्रतिशत की समीक्षा करने का अनुरोध किया तथा आज दिनांक को लंबित लगभग 1771 आवेदनों जिनमें मार्जिन मनी लगभग 46 करोड़ है का नियमानुसार निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया।

  (कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में बैंकों की ओर से अच्छा कार्य हुआ है किन्तु 15,000 आवेदन जो कि डीआईसी (DIC) के माध्यम से बैंकों को अग्रेषित किए गए थे उनमे से संवितरण मात्र 7,291 में हुआ जिसके सापेक्ष 5,438 संवितरण हैं जिनमें एक महीने से अधिक समय से लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है। बैंक शाखाओं द्वारा नियमानुसार आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की है लेकिन संवितरण में विलंब बहुत होता है। जिसके कारणों की बैंकों के नियंत्रक से जांच किए जाने के लिए बैंकों से अनुरोध किया । उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि संबन्धित आवेदनों में लंबित पड़े संवितरण पर उचित कार्यवाही करें और सुनिश्चित करें कि स्वीकृति के बाद संवितरण एक महीने के भीतर कर दिया जाए। साथ ही उन्होने बैंकों को अपनी शाखाओं से लंबित पड़े आवेदनों की स्वीकृति पर कार्यवाही करने का निर्देश देने का आग्रह किया।

  (कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)
- उन्होने आगामी वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्राहकों द्वारा आवेदनों को पहले ऑनलाइन दर्ज करवाने का अनुरोध किया जिसके परिणामस्वरूप जो स्वीकृतियां जारी होंगी उनका पुनःनिरीक्षण नहीं करना पड़ेगा तथा ऋण संवितरण की कार्यवाही में विलंब नहीं होगा।

  (कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)
- उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में तीन श्रेणियाँ हैं:
  1) रु 25 लाख तक का ऋण जिसमें सरकार 8% की ब्याज अनुदान दिया जाता है।
  2) रु 25 लाख से रु 5 करोड़ तक का ऋण जिसमें सरकार 6% की ब्याज अनुदान दिया जाता है।
  3) रु 5 करोड़ से रु 10 तक का ऋण जिसमें सरकार 5% की ब्याज अनुदान दिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है ताकि राज्य में एमएसएमई उद्यमियों के लिए सकारात्मक माहौल बन सके। राशि रु 25 लाख तक एवं रु 25 लाख से रु 5 करोड़ तक का ऋण बेरोजगारों के व्यवसायों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है तथा बैंकों को इन दो श्रेणियों में तत्परता से कार्य करना चाहिए।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होने सूचित किया कि अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में सभी डीएम के साथ, बैंकरों और अग्रणी जिला प्रबंधकों की उपस्थिति में बैठक रखेंगे, जिसमे वह ऋण sanction करते समय अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बैंकर्स को अवगत कराएंगे, जिसे भविष्य में बैंकरों द्वारा संज्ञान में लिया जाना चाहिए। उन्होने आगामी वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा बेहतर प्रदर्शन एवं बैंकों की सक्रिय भागीदारी से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कि अपेक्षा जताई।

कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आयुक्त उद्योग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक में उपस्थित सदस्यों के संज्ञान में लाया गया प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत 54% आवेदनों की अस्वीकृति के मुद्दे का संदर्भ देते हुये राजस्थान सरकार के एसएलबीसी में मौजूद प्रतिनिधियों को सभी बैंकों की ओर से यह आश्वासन दिया की यदि उनके आवेदन दिशा निर्देशों के अनुसार ही अथवा अतार्किक कारणों से इन्हे अस्वीकृत नहीं करेगा। क्योंकि यह उनके ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने का अच्छा साधन है।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने राजस्थान सरकार के एसएलबीसी के सदस्यों एवं खादी व ग्रामोद्योग आयोग के बैठक में मौजूद सदस्यों से पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे आवेदनों का विश्लेषण करने के लिए एवं एसएलबीसी की उप समिति में रिजेक्शन के कारणों पर विचार विमर्श करने का अनुरोध किया ताकि जिन कारणों से बैंक इन आवेदनों को अस्वीकार कर रहे हैं उनपर प्रकाश डाला जा सके, 54% आवेदनों की अस्वीकृति कतई स्वीकार्य योग्य नहीं है।

आगे उन्होने आयुक्त उद्योग, राजस्थान सरकार के साथ सहमति जताते हुये कहा एक बार ऋण स्वीकृत हो जाने के बाद संवितरण में अत्यधिक देरी नहीं होनी चाहिए।

आयुक्त उद्योग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा इस मुद्दे पर भी समीक्षा की जायेगी कि ऋण मंजूरी के बाद संवितरण में एक महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए व असामान्य विलंब के लिए जवाबदेही तय की जायेगी ताकि ऋण मंजूरी के बाद ऋण संवितरण एक महीने के भीतर करने की समय सीमा रहे।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत 54% आवेदनों की अस्वीकृति के मुद्दे का संदर्भ देते हुये कहा की इस मुद्दे पर हर बार एसएलबीसी की बैठक में चर्चा की जाती है तथा एसएलबीसी की उप समिति में इस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए।

उन्होने बताया की खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की वैबसाइट पर ऋण की अस्वीकृति/निरस्तीकरण के 15 कारण सूचीबद्ध हैं। उन 15 कारणों में से 7 से 8 कारण राज्य सरकार से संबंधित हैं, जबकि 2 कारण बैंकों से संबंधित हैं। शेष कारणों पर राज्य सरकार और बैंक, दोनों को मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता हैं।

उन्होने बताया कि उनके स्तर से विश्लेषण किया है एवं देश के सभी राज्यों के प्रगति को विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि जिन राज्यों में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध अग्रेषित आवेदनों का प्रतिशत कम है, उन राज्यों में रिजेक्शन/रिटर्न का प्रतिशत भी कम है और यदि प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध अग्रेषित आवेदनों का प्रतिशत अधिक है, उन राज्यों में रिजेक्शन/रिटर्न का प्रतिशत भी अधिक है। इसलिए मूल कारण विश्लेषण करने की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए सभी संबंधित पक्षों को उप समिति की बैठक में एक साथ आना चाहिए और इस मामले पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, ताकि किसी भी संरचनात्मक मुद्दे को हल किया जा सके।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में रिजेक्शन/रिटर्न प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के बराबर है लेकिन अगर हम आंध्र प्रदेश/ गुजरात को देखें तो हम पाएंगे कि उनकी ऋण sanction प्रतिशत राजस्थान के 30% के मुकाबले 40-46% है, जिसके पीछे राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तुलना में आंध्रा प्रदेश/ गुजरात की राज्य सरकार की ओर से बेहतर ड्यू डिलिजेन्स है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया की उक्त योजना में राजस्थान नें 98.24% लक्ष्य की उपलब्धि कर ली है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि वह लक्ष्य से अधिक उपलब्धि करने के लिए प्रयासरत रहें तथा आयुक्त उद्योग, राजस्थान सरकार को आश्वासन दिया की आगामी समय में सभी बैंक बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, जिसका गठन 1978-79 में किया गया था, को संबोधित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होने इस समिति द्वारा राजस्थान राज्य में प्रदान की गयी सेवाओं की प्रशंसा की। उन्होने बताया कि उन्होने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ऋण अस्वीकृति के मुद्दे पर उन्होने कहा कि अवश्य ही दोनों पक्षों अर्थात बैंकर्स व राज्य सरकार के पास अपने कार्यों और निर्णयों को सही ठहराने के अपने कारण हैं लेकिन इस बैठक का पहला कार्य बिंदु यह है कि हमें उच्च रिजेक्शन/रिटर्न

दर के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। वह जवाबदेही निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि यह बैंकर्स के क्षेत्राधिन है ।

उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अपने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

- उन्होने वार्षिक ऋण योजना (Annual Credit Plan) के तहत वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2021 तक के आनुपातिक लक्ष्यों के सापेक्ष रूप से 99.60% की उपलब्धि के लिए एसएलबीसी एवं बैंकों की सराहना की। यह उपलब्धि नौ महीने की अवधि के भीतर हासिल की गई थी जो कोविड के बाद राजस्थान की ऋण आवश्यकता के स्तर को दर्शाती है।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान में सीडी का अनुपात (CD Ratio) 84.86 प्रतिशत है, परंतु सभी बैंकों द्वारा राज्य में Credit to GDP के कम स्तर पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने राज्य के सामने चुनौतियों के बारे में सदन को सूचित किया:

- राजस्थान को कोविड के बाद रिकवरी के रास्ते पर वापस लाने में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है। देश के हर राज्य को कोविड के दौरान नुकसान हुआ है पर राजस्थान को थोड़ा अधिक नुकसान हुआ है क्योंकि राज्य में व्यापार और पर्यटन महामारी के साथ-साथ महामारी को रोकने के लिए किए गए उपायों से बहुत प्रभावित हुए हैं। राजस्थान ने विशिष्ट तौर पर भारी रिवर्स माइग्रेशन देखा है। जबकि अन्य राज्यों, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवासी प्रवाह को कृषि आदि में अवशोषित कर लिया गया था, राजस्थान के पास रिवर्स माइग्रेशन को अवशोषित करने के लिए कृषि क्षेत्र में बहुत कम बफर है। इसलिए इस पर अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है कि महामारी के दौरान राजस्थान के लोगों को कैसे और कितना नुकसान हुआ है और हम कैसे कोविड के प्रभाव को उलट सकते हैं। एसएलबीसी इस मुद्दे को हल करने के लिए किसी भी अन्य फॉरम से अधिक उपयुक्त है।
- राज्य के ग्रोस्स डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (GDP) में कृषि का योगदान लगभग 30% है लेकिन यह कृषि क्षेत्र की ताकत का प्रतिबिंब नहीं है। बल्कि यह अन्य क्षेत्रों में अवसरों की कमी को दर्शाता है। उद्योग के क्षेत्र में पिछले एक दशक में 8% की गिरावट देखी गई है, जो बेहद चिंताजनक है। हमें इन चुनौतियों का समाधान करना चाहिए । हमें उद्योग और सेवा क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों में अर्जित आय बहुत अधिक है। आने वाले जलवायु परिवर्तन संकट को देखते हुए भी कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में विविधता लाना आवश्यक है। एसएलबीसी को गंभीरता से लेना चाहिए और राजस्थान को जलवायु प्रतिरोधी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए।
- एमएसएमई क्षेत्र वर्तमान में देश भर में महत्वपूर्ण तनाव का सामना कर रहा हैं, यदि भारत को प्रगति करने और समान विकास के आधार पर दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की महत्त्वकांक्षा है, तो उसे एमएसएमई क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता है। निम्न कारक इसमे लाभकारी हो सकता हैं:
    - एमएसएमई क्षेत्र में अच्छी विकास की संभावना है

- महामारी ने सभी उद्यमों को अधिक कुशल बनने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
- हमें अब बहुत अधिक डेटा मिल रहा है GST network, Digitisation, RBI data जिसका उपयोग एमएसएमई को ऋण स्वीकृत करने के लिए कर सकते हैं।
- कोविड़ संकट के बाद बैंक बड़े राशि रू ऋण प्रदान करने में उत्सुक नहीं हैं। लेकिन एमएसएमई सैक्टर में बैंक आसानी से कुछ करोड़ का एक्सपोजर ले सकते हैं और अगर कर्ज खराब हो जाता है, तो बैंकों के पास इसे अवशोषित करने की क्षमता है।
- एमएसएमई देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसलिए हमेशा सरकार और आरबीआई द्वारा समर्थित रहेगा तथा इसपर इनका ध्यान केंद्रित रहेगा।
- राज्य के कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य सरकार एवं बैंकों को कुछ सुझाव दिये जिसमें ऋण समीक्षा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह की सिफ़ारिशों को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाने के लिए बढावा देना, इत्यादि शामिल हैं। लेकिन आंतरिक कार्य समूह की सिफ़ारिशों पर राज्य सरकार के स्तर से आज दिनांक तक कार्यवाही अपेक्षित है।

(कार्यवाही: राजस्थान सरकार एवं सभी सदस्य बैंक)

- राज्य में वित्तीय समावेशन सभी मानकों में राष्ट्रीय औसत से कम है। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि राजस्थान राज्य के लोगों के लिए उच्च प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) लाने के लिए इस विषय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राजस्थान राज्य की विरोधाभासी स्थिति पर चर्चा करने की आवश्यकता है जहां हमारे पास उच्च CD ratio भले ही है लेकिन deposit to GDP ratio में हम राष्ट्रीय औसत से नीचे है, जो चिंता का विषय है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएलबीसी राजस्थान, सभी सदस्य बैंकों एवं हितधारकों को आरबीआई के पास उपलब्ध वृहद डेटा का उपयोग कर और डेटा के आधार पर विचार-विमर्श और निर्णय लेने में महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर की सहायता करने के लिए अनुरोध किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को उनकी प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और एसएलबीसी के साथ सभी डेटा की उचित उपलब्धता के बारे में महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक को आश्वस्त किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गदर्शन एवं समन्वय के साथ आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय समावेशन के लिए अभियान चलाने के लिए आश्वस्त किया।

(कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं राज्य मिशन निदेशक, आरजीएवीपी, राजस्थान सरकार ने बताया कि

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित राज्य विकास संस्था एसएचजी को ऋण उपलब्ध करने और क्रेडिट लिंकेज का काम करती है। वाणिज्यिक बैंकों में जो बड़े नाम हैं, उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक, वह इस कड़ी में अधिकांशतः प्रभाव हीन हैं जो यह दर्शाता है कि बैंक इस कार्य के लिए सुसज्जित या संवेदनशील नहीं हैं। अभी भी लगभग 18,000 ऋण आवेदन पत्र लंबित हैं।
- राज्य सरकार ने महिलाओं को जोड़ते हुये बैंकिंग सिस्टम खड़ा करने की योजना बनाई है। इसमे आज दिनांक तक 27 लाख महिलाएं जुड़ी है और वर्ष के अंत तक लगभग 40 लाख के जुड़ जाएंगी। इन 40 लाख महिलाओं में यदि प्रत्येक महिला रु 1000 भी यदि बचत के रूप में पैसा जमा करें तो रु 400 करोड़ की राशि हमारे पास जमा होगी। लेकिन ऋण की आवश्यकता रु 3000 करोड़ के आस पास पहुंचेगी।
- समाज के नीचे के तबके के लिये विशेष रूप से परियोजना बनाना संभव नहीं है। वे एमएसएमई क्षेत्र का ही हिस्सा हैं। उन्हें एक संघ के अंतर्गत लाने के लिए राज्य सरकार कार्यरत है।
- उन्होंने बैंकों से उक्त तबके के लोगो को ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि वे समाज के इस वर्ग को आगे उधार दे सकें। जिस ब्याज दर पर बैंक ऋण देंगे उससे 2 से 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण आगे दिया जाएगा। अतः उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि वैधानिक और प्रशासनिक लागत कम करके कम ब्याज पर सरकार को ऋण प्रदान करें जिससे कमजोर वर्ग पर अतिरिक्त ब्याज का भार न पड़े।
- SHG व JLG का प्रमुख उद्देश्य है कि उनके सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि को ही ऋण की राशि समूह के ही सदस्यों को प्रदान की जाती है। जब तक सदस्य ऋण नहीं चुकाता, तब तक दूसरे सदस्य को पैसा नहीं मिल पाता है। अतः प्रत्येक सदस्य पर समय पर राशि चुकाने का दबाव डालता है और समूह सक्रिय रहता है।
- इस साल राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना लगभग रु 1000 करोड़ का ऋण वितरण कर पाने मे सक्षम रहेगा जिसमे से रु 400-500 करोड़ वह अपने संसाधनों से जुटाएँगे व लगभग रु 500 करोड़ नाबार्ड या अन्य कमर्शियल बैंक से जुटाने की कार्ययोजना है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया की बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लगभग 250 तिब्बतियों को उनकी दुकान खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तिब्बती बाज़ार का सृजन हुआ। इस प्रकार निम्न तबके की उन्नति के लिए सभी बैंक ऋण देने के लिए हमेशा तत्पर हैं।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं राज्य मिशन निदेशक, आरजीएवीपी, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग के पास व उद्योग विभाग के पास 33 जिलों में कुछ परिसर उपलब्ध हैं उन जगह पर कॉमर्शियल हब बनाने के लिए वह परियोजना बना रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों

की स्थायी दुकान होगी साथ ही सांस्कृतिक ज़ोन, मनोरंजन ज़ोन आदि भी होंगे। इसके लिए कुछ राशि उनके पास उपलब्ध है, बाकी राशि बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने श्री मुक्तानन्द अग्रवाल, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का आमंत्रण दिया।

रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने बातया कि:

- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राजस्थान के सभी बैंकों के प्रयास से आगे बढ़ा है और देश के बाकी राज्यों कि तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। किन्तु राजस्थान अभी भी आवंटित लक्ष्यों से काफी पीछे है। इसके पीछे कारण यह है कि केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) द्वारा मंजूर कि गयी परियोजनाओं की बैंकों द्वारा sanction में देरी और sanction के बाद संवितरण में देरी। इसकी चर्चा एसएलबीसी एवं अन्य माध्यमों से पहले भी की गयी है। केन्द्रीय PMU परियोजनाओं को सभी विवरणों की जांच के बाद ही मंजूरी देता है। इसके बाद भी बैंकों द्वारा sanction और संवितरण में देरी अपेक्षित नहीं है। उन्होंने बैंकों से ऐसी परियोजनाओं के लिए प्रणाली को अनुकूल बनाने और लक्ष्य से अंतर को पाटने का अनुरोध किया।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक किसान परिवार को रु 6000, रु 2000 कि तीन किश्तों में प्रदान किए। कुछ किसान बाद में इस योजना के तहत अपात्र पाए गए जिनसे इस राशि कि वसूली के निर्देश भारत सरकार ने दिये हैं। राजस्थान कि वसूली प्रतिशत 10% से भी कम है। भारत सरकार इस विषय में कोई सख्त तंत्र बनाने के पक्ष में नहीं है। उसकी जगह किसानों को राज़ी करके राज्य स्तरीय खाते में राशि डलवाने के लिए पटवारी व तहसीलदारों के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है। किन्तु भारत सरकार का निर्देश है कि SLBC के माध्यम से बैंकों को शामिल करके भी ये कार्य किया जाए। इसके लिए विस्तृत निर्देश निकट भविष्य में जारी होने कि उम्मीद है। सभी से अनुरोध है कि वसूली करने में राज्य सरकार का सहयोग करें।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर को बैठक को संबोधित करने का आमंत्रण दिया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सर्वप्रथम मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों एवं बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का अभिनन्दन किया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि-

- राजस्थान में सीडी अनुपात (CD ratio) अधिक है लेकिन क्रेडिट एब्सोर्जन (credit absorption) में और वृद्धि की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों में NABARD द्वारा ऋण प्रवाह का पूर्वानुमान रु 2.5 लाख करोड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण अवशोषण (credit absorption) क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा । इसके अंतर्गत नाबार्ड राज्य सरकार के साथ ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (Rural Infrastructure Development Fund) के माध्यम से ऋण उपलब्ध करता है। वर्ष 2021-22 में रु 2,750 करोड़ तथा पिछले वित्तीय वर्ष में रु 1,700 करोड़ मिलाकर दो वर्षों में लगभग कुल रु 4,500 करोड़ ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में नाबार्ड नें राज्य सरकार को उपलब्ध कराये हैं जिससे अवसंरचना विकास होगा एवं ऋण अवशोषण (credit absorption) क्षमता में वृद्धि होगी।
- नाबार्ड Rural Infrastructure Assistance to State Governments (RIAS) योजना जो आकांक्षी ज़िलो (Aspirational Districts) के लिए है, उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध कराएगा।
- ऋण अवशोषण (credit absorption) क्षमता में वृद्धि के लिए युवा और नवोदित उद्यमियों में कौशल विकास की आवश्यकता है। इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अनुसंधान कर के बनाई गयी तकनीकों का प्रचार करने की दिशा में कार्य करेंगे।
- राजस्थान पहला राज्य है जिसमें एकीकृत खेती के लिए इकाई लागत तय की गई है। ज़िला अधिकारियों के माध्यम एवं सभी बैंकों के साथ मिल के उन युवाओं के लिए जो प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुये एकीकृत खेती करना चाहते हैं, उनके लिए नाबार्ड ज़िले में कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। यह पहल कृषि को आगे ले जाने का नया तरीका साबित होगा।
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs) तेज़ी से विकास कर रहे हैं। एफपीओ के माध्यम से अपने वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने के बाद बैंकरों द्वारा वित्त पोषण करने के तरीके में व्यावहारिक बदलाव होगा। इससे बैंकरों को ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण और प्रसंस्करण गतिविधियों के साथ कृषि को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राज्य में शाखा के अनुसार बड़े बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक लगातार अच्छा प्रदर्शन करें तो ग्रामीण विकास में राज्य के प्रदर्शन में सुधार होगा। एसएलबीसी उप-समिति में पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहता है। उन्होंने बैठक में उपस्थित दोनों बैंकों के शीर्ष अधिकारियों से अगले वित्तीय वर्ष से अपने बैंक का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक)

श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **151**वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए सदन से अनुरोध किया एवं सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 152वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 16वीं बैठक दिनांक 15.03.2022 को आयोजित की गयी।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उपसमितियों के आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

उपसमिति	बैठक की दिनांक
1. वित्तीय समावेशन	24.02.2022
2. डिजिटल भुगतान	24.02.2022
3. एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	24.02.2022
4. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	03.03.2022
5. एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ	03.03.2022
6. कृषि योजनाओं से संबन्धित	07.03.2022
7. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	08.03.2022
8. बकाया ऋण वसूली	राजस्व विभाग से तारीख प्रतीक्षित है

एजेण्डा क्रमांक - 3 -Key Business Parameters

Branch Network

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य के बैंकिंग के प्रमुख पैरामीटर के बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धियों के बारे में सदन को निम्नानुसार सूचित किया:

दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 8228 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31 दिसम्बर, 2021 तक बैंकों द्वारा कुल 77 शाखाएं खोली गयी हैं।

Growth under various parameters

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति संतोष जनक है-

Parameters	Mar-19	Mar-20	Dec-20	Mar-21	Dec-21	% Growth	
						YTD	YOY
Total Deposit	393850	434010	475449	495444	526040	6.18	10.64
Total Advances	334337	360214	392293	408932	438729	7.29	11.84
Total PS	217628	228735	250450	257136	284757	10.74	13.70
Agriculture	106759	109985	117690	121507	130166	7.13	10.60
MSME	77206	80421	92481	94954	113347	19.37	22.56
OPS	33663	38329	40279	40675	41243	1.40	2.39
Weaker Sections	68593	79673	76711	78619	88527	12.60	15.40
Minority Community	15579	16630	16819	17825	18282	2.56	8.70

Institutional Breakup of Social Banking Parameters as on December 2021

- राज्य में समस्त बैंकों का साख जमा अनुपात 84.86% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 60% से काफी ऊपर है।
- कुल अग्रिमों के अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 64.91% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 40% वाणिज्यिक बैंक व 75% आरआरबी व एसएफ़बी) से काफी ऊपर रहा है लेकिन एसएफ़बी का 74.72% रहा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है ।
- कृषि क्षेत्र को 29.67% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 18%) से काफी ऊपर रहा है ।
- एमएसएमई को 25.84%, कमजोर वर्ग को 20.18% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 11% वाणिज्यिक बैंक, एसएफ़बी व 15% आरआरबी से काफी ऊपर),
- लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 15.14% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 9%) तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 12.54% रहा है।

एजेण्डा क्रमांक - 4 - Review of Financial Inclusion Initiatives, Expansion of Banking Network and Financial Literacy

Status of Inadequately Covered or Uncovered Villages with the Banking Touch point:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांक F/No.6/4/2021-FI (Mission Office) दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से सूचित किया कि कई गाँव जो पहले 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग टच पॉइंट से कवर थे जो अब बैंकिंग सुविधा रहित हो गए है । उक्त गांवों मेन बैंकिंग टच प्वाइंट के बंद हो गए है अथवा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए है जिसके कारण से बैंकिंग सुविधा से रहित हो गए है। उक्त बैंकिंग सुविधा रहित गांवों का विवरण निम्न प्रकार है:

SUMMARY OF UNCOVERED VILLAGES WITHIN 5 KM RADIUS as on 24.03.2022				
Sr. No.	Name of Bank	Total No. of Uncovered Villages as on 14.01.2022	Total No. of Covered Villages	Uncovered Villages
1	Bank of India	3	1	2
2	Bank of Maharashtra	3	3	0
3	Central Bank of India	1	0	1
4	ICICI Bank Ltd	1	1	0
5	India Post Payment Bank	10	2	8
6	Punjab National Bank	2	0	2
7	State Bank of India	74	70	4
8	UCO Bank	1	1	0
9	Rajasthan Marudhara Gramin Bank	1	0	1
	Grand Total	**96**	**78**	**18**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सभी बैंकों से निवेदन किया की बैंकिंग सेवा से रहित शेष 18 गांवों में अतिशीघ्र अधिकतम 10 अप्रैल, 2022 तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंकिंग सेवा से रहित गांवों की संख्या अधिक होने पर आपत्ति प्रकट की क्योंकि इनके बैंकिंग मित्रों को भी बैंकिंग टच पॉइंट में शामिल किया जाता है।

प्रतिनिधि, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बताया कि आठ में से पाँच गांवों तक उन्होने बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कारवाई जा रही है। उन्होने अनुरोध किया कि शेष चार गांवों उनके निकटतम बैंक शाखा से 50-60 किमी दूर हैं इसलिए उन्हें किसी अन्य बैंक को आवंटित करने के लिए अनुरोध किया ।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने इस संबंध में एसएलबीसी को उक्त गांवों की सूची प्रेषित करने व उक्त गांवों के निकट स्थित बैंक शाखा का नाम भी बताने हेतु आईपीपीबी को अनुरोध किया।

(कार्यवाही : इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक)

<u>Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 27.09.2021 द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जनसुरक्षा अभियान आरंभ किया गया है जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 100% संतृप्ति को प्राप्त करना है। उक्त अभियान दिनांक 02.10.2021 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व ग्रामीण बैंकों हेतु प्रारम्भ किया गया है। संतृप्ति अभियान के तहत दिनांक 16.03.2022 तक की प्रगति इस प्रकार है:

S.No.	Bank Name	PMJJBY				PMSBY				APY			
		Number of Eligible PMJDY A/C Holders	Total Enrolled upto 16.03.2022	% of Ach.	Pending for Enrolment	Number of Eligible PMJDY A/C Holders	Total Enrolled upto 16.03.2022	% of Ach.	Pending for Enrolment	Number of Eligible PMJDY A/C Holders	Total Enrolled upto 16.03.2022	% of Ach.	Pending for Enrolment
Rajasthan State as a Whole		6915500	1581797	22.87	5333703	9673911	4144305	42.84	5529606	5633175	550253	9.77	5082922

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं योजनाओं में 100% संतृप्ति को प्राप्त करना है। लेकिन प्रगति अपेक्षानुसार नहीं है। अतः बैंकों से अनुरोध है कि कार्ययोजना बनाते हुए सभी ग्राहकों को पात्रतानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कवर करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>अटल पेंशन योजना</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि पेंशन योजना के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है:

	Progress from 01.04.2021 to 28.02.2022						
	Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 31.01.2022	% Ach.
Atal Pension Yojana: DFS, MoF, GoI, vide their letter no. file no. 16/7/2015-PR (PT) dated 08.06.2021 had informed target for the F.Y.2021-22 based on the number of branches of each bank	PSB		4149	70	290430	381757	131.45
	Private	HDFC, Axis, ICICI and IDBI	874	70	61180	16596	27.13
		Other Private Banks	335	30	10050	4267	42.46
	RRB		1561	70	109270	102996	94.26
	Co-Op.		461	20	9220	18	0.20
	Small Finance Bank		221	50	11050	9433	85.37
	State as a Whole		7601		491200	515067	104.86
	* Data received from PFRDA						

राज्य में कुल 4,91,200 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28.02.2022 तक 5,15,067 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 104.86 % रही है। जहां वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्धि 53.56%, 2019-20 में 72%, 2020-21 में 84.38% उपलब्धि थी, पिछले चार साल में पहली बार वर्तमान वित्तीय वर्ष (2021-22) राजस्थान ने अटल पेंशन योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि है जो कि 104.86% रही है।

अटल पेंशन योजना के तहत जनवरी 2022 तक निम्न बैंकों कि लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि बेहद चिंतनीय है- राजस्थान राज्य सहकारी बैंक - 18 (0.20%), पंजाब नेशनल बैंक -18273 (34.30%), आईसीआईसीआई बैंक - 6709 (22.24%), एचडीएफसी बैंक -6392 (43.90%), एक्सिस बैंक 1691 (14.55%)।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने निजी बैंकों द्वारा अटल पेंशन योजना में निम्न प्रगति पर असंतोष प्रकट किया तथा व्यापक शाखा पहुंच और मजबूत गैर शाखा तंत्र के बावजूद कम प्रगति का कारण बताने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही : समस्त निजी सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, एचडीएफसी बैंक ने बताया कि पिछली तिमाही में उनके बैंक ने तिमाही के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 100% से ज़्यादा कि उपलब्धि है व उनका बैंक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना में आगामी वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आश्वस्त किया ।

(कार्यवाही : एचडीएफ़सी बैंक)

प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि पिछले तीन वर्षों कि तुलना में इस वर्ष उनके बैंक ने अधिक प्रगति कि है पर फिर भी उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। APY में नामांकन अब हमारे डिजिटल ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो गया है जिसके परिणामस्वरूप इसमें बेहतर प्रगति होगी। आगामी वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सदन को आश्वस्त किया ।

(कार्यवाही : आईसीआईसीआई बैंक)

<u>राजस्थान में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट करौली, अजमेर और धौलपुर में प्रगति</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राज्य में तीन जिलों यथा **करौली, अजमेर एवं धौलपुर** को शत-प्रतिशत डिजिटल बनाने के लिए चयनित किया गया है। इस संबंध में सभी बैंकों से अनुरोध है कि करौली, अजमेर और धौलपुर जिले को शत-प्रतिशत डिजिटल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Progress of 100 % Digital District - Karauli - Comparision from March 2020 to February 2022

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI,	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net
1	Mar-20	1453457	67.29	8.25	20.58	-	68.56	12094	20.37	23.26	-	-
2	Mar-21	1390008	86.52	13.57	51.90	96.74	98.59	14773	48.37	43.39	37.79	95.60
3	Feb-22	1461085	92.91	16.39	61.77	96.29	99.92	15227	54.85	55.11	45.18	99.17

Progress of 100 % Digital District - Ajmer - as on Dec 2021

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI,	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net
1	Dec-21	3385367	69.76	15.88	54.61	66.39	85.70	98443	64.18	42.48	59.84	80.40

Progress of 100 % Digital District - Dholpur - as on Dec-21												
Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI,	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net
1	Dec-21	1350378	62.19	33.28	48.09	84.73	90.70	10406	58.45	20.77	54.59	76.23

अजमेर ज़िले में बैंकों में उपलब्ध कोई एक डिजिटल सुविधाओं में से कम से कम एक सुविधा के अंतर्गत कवर किए गए ऑपरेटिव बचत खातों की कुल संख्या ऑपरेटिव बचत खातों की कुल संख्या का 85.70% है और भुगतान के कम से कम एक डिजिटल मोड के साथ कवर किए गए ऑपरेटिव चालू खातों की कुल संख्या ऑपरेटिव चालू खातों की कुल संख्या का 80.40% है।

धौलपुर ज़िले में बैंकों में उपलब्ध कोई एक डिजिटल सुविधाओं में से कम से कम एक सुविधा के अंतर्गत कवर किए गए ऑपरेटिव बचत खातों की कुल संख्या ऑपरेटिव बचत खातों की कुल संख्या का 90.70% है और भुगतान के कम से कम एक डिजिटल मोड के साथ कवर किए गए ऑपरेटिव चालू खातों की कुल संख्या ऑपरेटिव चालू खातों की कुल संख्या का 76.23% है।

उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि करौली, अजमेर और धौलपुर जिले को शत-प्रतिशत डिजिटल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर अतिशीघ्र लक्ष्य को प्राप्त करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सदन को बताया कि करौली ज़िले में 100% डिजिटलिकरण का सर्टिफिकेट सभी बैंकों द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है किन्तु एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक द्वारा ना ही कोई सर्टिफिकेट अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यालय को प्रेषित किया गया है व उनके बैंक कि प्रगति अभी भी 100% से कम हैं।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक के प्रतिनिधि को उक्त मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के निर्देश प्रदान किए। किन्तु एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक का प्रतिनिधि बैठक में उपस्थिति नहीं होने पर उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा एसएलबीसी को एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक से सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित नहीं होने पर बैंक के प्रबंध निदेशक को पत्र के माध्यम से संज्ञान में लाने हेतु निर्देशित किया व साथ ही एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक को यह भी निर्देशित किया कि आगामी बैठक में सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा पूरी तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से भाग लिया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: एसएलबीसी, राजस्थान एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

<u>Issues pending with the state government:</u>

Implementation of Digital E stamping facility on Bank Guarantee

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि बैंक गारंटी पर डिजिटल ई स्टांपिंग सुविधा लागू करने का मुद्दा राज्य सरकार के पास बहुत समय से लंबित है। IGRS, राजस्थान सरकार ने संयुक्त सचिव, वित्त (कर), रा. स. को पत्र दिनांक 25.02.2022 द्वारा राजस्थान में बैंक गारंटी पर स्वचालित ई-स्टाम्पिंग प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया है।

प्रतिनिधि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि कि IGRS डिपार्टमेंट द्वारा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है लेकिन वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से आज दिनांक तक कार्यवाही अपेक्षित है।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रतिनिधि से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यह सुविधा आरम्भ कराने का कार्य सुनिश्चित करवाने के लिए अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि-

- वर्ष 2001 से राज्य में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के संबंध में जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋण दस्तावेजों यथा Equitable Mortgage by Deposit of Title, Loan Agreement, Guarantee, Security Bond आदि में से कोई एक मुख्य दस्तावेजो (Principal Document) मान कर व उस पर ही स्टांप ड्यूटी देय होती है एवं शेष दस्तावेजों पर राशि रू 2 की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होती थी तथा समय समय पर परिवर्तन के पश्चात वर्तमान में राशि रू 200 देय है ।
- राजस्थान सरकार के दिनांक 25.04.2011 की अधिसूचना के अनुसार एमएसएमई उद्यमियों के लिए ऋण अनुबंध एवं टाइटल डीड के लिए प्रति दस्तावेज़ राशि रू 100 की स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा संपत्ति के कब्जे के अधिकार सहित अथवा अधिकार रहित साधारण बन्धक (Simple Mortgage) वाले प्रकरणों में राशि रू 500 की स्टाम्प ड्यूटी देय है ।
- मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पुराने ऋण दस्तावेजों में भी पूर्वप्रभावी (retrospective) स्टांप ड्यूटी जमा करवाने हेतु बैंकों व ऋणीयों को निर्देशित किया जा रहा है।
- उन्होने मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि उक्त मुद्दे पर स्पष्टीकरण लाने की आवश्यकता है ताकि ऋणकर्ताओं को ऋण दस्तावेजों पर बहुत अधिक स्टांप ड्यूटी देनी पड़ रही है जिससे उनको अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना करना पड़ रहा है।
- उक्त प्रकरण के स्पष्टीकरण हेतु एसएलबीसी की उपसमिति (एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन) में चर्चा के दौरान एवं एसएलबीसी, राजस्थान के पत्र दिनांक 03.03.2022 के माध्यम से भी अनुरोध किया गया है लेकिन स्पष्टीकरण आज दिनांक तक लंबित है ।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि स्टाम्प एक्ट की धारा 5 के अनुसार ऋण के सभी दस्तावेज़ों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, मात्र प्रिन्सिपल दस्तावेज़ पर ही लगेगी। उसमे भी राजस्थान सरकार ने 15 लाख की सीमा के साथ स्टांप शुल्क को घटाकर कुल ऋण राशि का 0.25% कर दिया है। अलग अलग आर्टिकल्ज़ के दस्तावेजों पर ही अलग से स्टाम्प शुल्क देय है।

अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा नें आईजीआरएस विभाग से अनुरोध किया कि इस मुद्दे के बारे में लिखित में एक स्पष्टीकरण प्रदान करें ताकि एमएसएमई और निर्यातकों को लाभ पहुंचेगा।

(कार्यवाही: पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>Glow Sign Board</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि बैंक शाखा परिसर में Glow Sign Board प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट का मामला लगभग 3-4 वर्ष से स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। इस पर उन्होने प्रतिनिधि, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को टिप्पणी देने का अनुरोध किया।

प्रकरण के चर्चा के दौरान स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से कोई भी प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होने पर संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होने आगामी बैठकों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त निदेशक, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने इस विषय पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण से बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया। उन्होने बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के भूमि भवन जिनका उपयोग मात्र लोक प्रयोजन के लिए किया जाता है वहीं साइनेज बोर्ड प्रदर्शित करने पर लाग्ने वाले शुल्क के लिए छूट हेतु पात्र है। बैंक, केंद्र सरकार का लोक प्रयोजन संबंधी विभाग नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित व्यावसायिक संस्थान हैं जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति मे नियमानुसार बैंक शाखा परिसर में glow sign board प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट दिये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा बताया कि सभी बैंक वित्तीय समावेशन, एमएसएमई के पुनरुद्धार, स्वयं सहायता समूहों कि प्रगति के लिए कार्य करते हैं,

उन्हे लाभ कमाने वाले संस्थान बताकर Glow Sign Board प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट से वंचित करना अनुचित है।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भी राजस्थान सरकार को इस मुद्दे पर पुनः समीक्षा करने हेतु अनुरोध किया और बताया की इस चर्चा के दो भाग हैं-

1) यह मामला बार-बार एसएलबीसी बैठकों में चर्चा के लिए रखा जाता है और हर बार मुद्दे को विभाग द्वारा विचाराधीन होने से सूचित किया जाता है ।
2) बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन एवं केंद्र व राज्य सरकार की प्रायोजित कमजोर वर्ग के आर्थिक विकास की योजनाएँ बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जिसका उद्देश्य लाभार्जन नहीं है ।
3) यह पुनः मूल्यांकन का विषय है। संबन्धित विभाग को इस मामले में संज्ञान लेते हुये तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए।

उन्होने आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को निर्देश प्रदान किए कि उक्त प्रकरण को पुनः समीक्षा हेतु उनके विभाग से आवश्यक कार्यवाही कर स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>Creation of Equitable Mortgage</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ोदा ने बैंक और ऋण लाभार्थियों को बाधा रहित सामयिक बंधन (equitable mortgage) सृजित करने कि सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58 (F) के उद्देश्य से राजस्थान में सभी नगर निगमो, नगर पालिकाओं और पंचायतों अर्थात सभी जिलों, शहरों, तालुका और गाँव को विनिर्दिष्ट करने का राज्य सरकार से अनुरोघ किया था। चूंकि वर्तमान में सामयिक बंधन (equitable mortgage) केवल उन स्थानों/ शहरों में किया जा सकता है जिनहे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा इस विषय में प्रगति आज दिनांक तक प्रतीक्षित है ।

उन्होने बताया कि एसएलबीसी राजस्थान को प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58 (F) के तहत राजस्थान में अंतिम बार विभिन्न कस्बों को वर्ष 1985 में विनिर्दिष्ट किया गया है एवं वर्ष 1985 के बाद गाँव व कस्बे विकसित हो चुके है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान सरकार ने बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन का विषय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान से संबन्धित नहीं है उक्त प्रकरण विधि विभाग से संबन्धित

है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने विधि विभाग को इस विषय पर सूचित कर दिया है और विधि विभाग के स्तर से कार्यवाही लंबित है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने विधि विभाग, राजस्थान सरकार को सामयिक बंधन सृजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58 (F) के उद्देश्य से राजस्थान में सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों अर्थात सभी जिलों, शहरों, तालुका और गाँव को अतिशीघ्र विनिर्दिष्ट करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: विधि विभाग, राजस्थान सरकार)

R-SETI Building Construction:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने आर-सेटी के भूमि आवंटन के प्रकरण की स्थिति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक): यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा 0.50 हैक्टर भूमि ग्राम हल्दीना, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में चिन्हित कर ली गई है। जिला कलक्टर, अलवर द्वारा दिनांक 13.09.2021 को सेक्रेटरी रेवेन्यू ग्रुप 3, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

डुंगरपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा): जिला प्रशासन द्वारा आर-सेटी को वर्ष 2011 भूमि आवंटित की गयी है एवं आर-सेटी के भवन निर्माण के पश्चात तीन वर्ष से अधिक समय से संस्थान द्वारा अनवरत रूप से निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। महालेखाकार लेखा परीक्षा वर्ष 2009-12 द्वारा बीएसवीएस, डुंगरपुर हेतु आवंटित भूमि को प्रति बीघा डी.एल.सी. रेट पर रियायती दर पर भूमि आवंटन को नियमानुसार नहीं मानते हुए भूमि की लागत राशि रू. 58930/- की हानि आक्षेपित की जाने के कारण जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा उक्त राशि जरिये चालान तहसीलदार, डुंगरपुर के मार्फत जमा कराने हेतु निर्देशित किए जाने से सूचित किया गया है।

इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा पत्रांक ज.अं. /एस.एल.बी.सी. /2019-20 /2028 दिनांक 19.03.2020, ज.अं. /एस.एल.बी.सी. /2020-21 /343 दिनांक 07.07.2020, ज.अं. /एस.एल.बी.सी. /2020-21 /811 दिनांक 26.10.2020 तथा ज.अं. /एस.एल.बी.सी. /2021-22 /2109 दिनांक: 05.03.2022 के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज॰ विभाग, राजस्थान सरकार को जिला कलेक्टर, डूंगरपुर द्वारा भूमि लागत की अतिरिक्त राशि रु. 58,930/- की मांग को निरस्त किए जाने के लिए निर्देश जारी करने का श्रम करवाने हेतु अनुरोध किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक): आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 18.04.2022 को न्यायालय की अग्रिम तारीख है।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने राज्य सरकार ने 2011 में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की और निर्माण के बाद, संस्थान स्वयं के भवन से चल रहा है। अब 8,59,320/- रुपये की लेखापरीक्षा मांग के अनुसार, बैंक ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की, राज्य सरकार से कार्यवाही प्रतीक्षित है।

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 06.01.2022 को न्यायालय की तारीख थी। परंतु सुनवाई नही हुई और नई तारीख भी नहीं प्राप्त हुई है। उक्त मांग राशि को माफ करने हेतु माननीय उच्चय न्यायालय जोधपुर मे वर्तमान मे मामला विचारधीन है।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>पिछली बैठक के एटीआर</u>

बैठक के अध्यक्ष व कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उक्त भूमि आवंटन के मुद्दों के बहुत अधिक समय से लंबित है जिसकी वजह से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि वापस ले ली जावेगी एवं उक्त प्रोजेक्ट बंद होने की संभावना है ।

उन्होने आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार अनुरोध किया कि ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से समन्वय करते हुए आर-सेती भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए संबन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र दिनांक 28.02.2022 के माध्यम से जिला कलक्टर, अलवर, सवाई माधोपुर, जालौर व सिरोही को आर-सेटी भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने हेतु अनुरोध किया गया है।

साथ ही शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा यू. ओ. नोट दिनांक 28.02.2022 के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार को भी आर-सेटी भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया उक्त आर-सेटी के भूमि प्रकरण के निस्तारण हेतु संबन्धित जिले के कलेक्टर, राजस्व विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, आयोजना विभाग की एक बैठक आयोजित करवाने का श्रम करावें ताकि उक्त प्रकरण अतिशीघ्र सुलझाए जा सके ।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 5 -बैंकों द्वारा ऋण वितरण की समीक्षा</u>

<u>वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 2,10,485 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिसम्बर, 2021 तिमाही तक राशि रू 1,57,649 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 74.90% उपलब्धि है। कृषि में 73.81%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 92.03% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 29.26% की उपलब्धि दर्ज की गई है। वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष दिसम्बर, 2021 तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 76.92%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 71.76%,

सहकारी बैंक ने 66.50%, स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 69.54% की उपलब्धि दर्ज की है। कुल उपलब्धि 74.90% है जो कि संतोषजनक है।

वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा यस बैंक (38.04%), यूको बैंक (41.29%), इंडियन ओवरसीज बैंक (47.35%), इंडियन बैंक (57.37%), एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक (62.72%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (63.71%) एवं पंजाब नेशनल बैंक (63.98%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अनुरोध है।

(कार्यवाही: यस बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैंक)

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक की वार्षिक साख योजना के तहत कम प्रगति पर असंतोष प्रकट किया तथा मुख्यतः कृषि क्षेत्र में कम प्रगति के कारण सदन से अवगत करवाने के लिए निर्देशित किया है ।

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उनकी प्रगति के आंकड़े कृषि क्षेत्र में कम रहने के दो कारणों से अवगत करवाया जो कि निम्नलिखित है :

- वर्तमान वित्त वर्ष में उनके बैंक में रु 530 करोड़ का फसल बीमा का क्लैम प्राप्त हुआ है
- कृषि क्षेत्र में 350 करोड़ की ऋण रिकवरी भी की है

उन्होने आगामी वित्तीय वर्ष में उनके बैंक द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने का आश्वासन दिया है।

(कार्यवाही : पंजाब नेशनल बैंक)

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत दिनांक 10.03.2022 तक राज्य में 561 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं 19,493 ग्राम संगठन (VO) कार्यरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत वर्ष 2021-22 के 80,000 एसएचजी वित्त पोषित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 54,986 एसएचजी वित्त पोषित किए गए है जो कि 68.73% उपलब्धि है। दिनांक 10 मार्च 2022 के उपरांत इसमें सभी बैंकों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है। उन्होने सभी बैंकों से आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने प्रतिनिधि, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधि, राजीविका, राजस्थान सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा और बीआरकेजीबी का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

- आरएमजीबी में सबसे अधिक ऋण आवेदन स्वीकृति के लिए ऋण आवेदन पत्र लंबित हैं।
- SHG के 7,531 आवेदन पत्र बैंक बचत खाते खोलने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित हैं जिनमे से आरएमजीबी और भारतीय स्टेट बैंक के लगभग 2600 खाते हैं।
- आरबीआई के निर्देशानुसार ऋण SHG के corpus से 6 गुना दिया जा सकता है। किन्तु कुछ बैंक औसतन एक लाख या उससे भी कम राशि का ऋण वितरण किया है जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक (रु 76,000), आरएमजीबी (रु 80,000), केनेरा बैंक (रु 87,000), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (रु 93,000) एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र (रु 98,000) है ।
- उन्होने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत बैंकों को ऋण द्वारा SHGs को और सशक्त करने का अनुरोध किया।
- उन्होने रजीविका की ओर से बैंकों को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत खराब ऋणों मे रिकवरी करने में राजीविका बैंकों का सहयोग करेगा।
- उन्होने ने संबंधित बैंकों से लंबित पड़े ऋण आवेदनों और बचत खातों का जल्दी निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त संबन्धित बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि बिहार में SHG की संख्या राजस्थान के सापेक्ष पाँच गुना है तथा बकाया ऋण राशि राजस्थान के सापेक्ष दस गुना है। बिहार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रति खाता ऋण राशि रु 1,00,000 से अधिक है जो की राजस्थान में मात्र रु 83,000 है। पाँच साल पहले अर्थात 2016-17 में राजस्थान में प्रति खाता ऋण बिहार से अधिक थी पर अब बिहार राजस्थान से आगे निकाल गया है। पश्चिमी बंगाल और दक्षिणी राज्य भी SHG ऋण वितरण में अच्छा कार्य कर रहे हैं।

प्रतिनिधि, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि पहले राजस्थान में एसएचजी को एक ही कार्य के लिए ऋण दिया जाता था जबकी दक्षिणी राज्यों एवं बिहार द्वारा पहले से ही एसएचजी को एक से अधिक गतिविधियों के लिए ऋण दिया जाता था। राजस्थान ने मॉडल 2013 से, बिहार ने 2001 से अपनाया किन्तु आंध्रा प्रदेश इस model पर 1996 से ऋण दे रहा था। राजस्थान में भी पिछले तीन वर्षो से इसमे काफी अच्छी प्रगति कर रहा है और आगे अच्छी प्रगति होने की संभावना जताई । राजीविका विभाग SHGs की credit taking capacity को बढ़ाने हेतु प्रयासरत है।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत के लक्ष्य 3,320 व्यक्तियों, 233 समूहों एवं 2,220 स्वयं

सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 28.02.2022 तक उपलब्धि क्रमशः 2428, 68 एवं 568 रही है। लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित नहीं किए है।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें एवं एक शाखा में समान प्रकार के व्यवसाय आवेदन पत्र प्रेषित नहीं करने हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करें एवं बैंक शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्रेषित करें।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में 1,95,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 71,954 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें रु. 6,680.17 लाख वितरित किए गए हैं। राज्य में कुल स्वीकृत किए गए आवेदन में से 91.67% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 3.78% निजी क्षेत्र के बैंकों, 4.02% ग्रामीण बैंकों, 0.53% स्माल फ़ाइनेंस बैंकों के द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए है।

Bank wise PM-SVANidhi progress as on 09.03.2022

Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Loan Disbursement) UPTO 31.03.2022	Total Sanctioned	Sanctioned but pending for Disbursement	Pending for Sanction	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in lacs)	Pending	Returned	% Sanctioned against Targets
A	PUBLIC SECTOR BANK	115596	65957	2710	8076	63247	6307.88	47	37670	57.06
B	PRIVATE SECTOR BANK	48844	2719	2126	2280	593	59.34	66	1887	5.57
C	REGIONAL RURAL BANK	17150	2891	121	276	2770	277.05	13	3698	16.86
D	SMALL FINANCE BANK & OTHERS	13410	384	28	297	359	35.90	2681	309	2.86
Grand Total		195000	71954	4985	10929	66969	6680.17	2807	43564	36.90

उन्होने विशेष कर निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ अन्य समस्त बैंकों से आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : निजी क्षेत्र के बैंक एवं अन्य समस्त सदस्य बैंक)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 10.03.2022 तक की प्रगति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

- राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 80.94 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 10.03.2022 तक राशि रू 73.27 करोड़ (Disbursement) उपलब्धि रही है जो कि 90.52% है।

Progress as on 10.03.2022																	
Sr. No.	Particulars	FY 2021-22 Targets	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank			Margin Money Claimed			MM Disbursed			Rejected		
			No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	%	No of Prj.	MM Involve	%	No of Prj.	MM Involve	%	No of Prj.	MM Involve	%
1	Rajasthan	80.94	8346	261.29	2405	83.08	102.64	2148	74.87	92.50	2103	73.27	90.52	4269	116.05	44.41

Top Performing Banks under as on 10.03.2022					Lowest Performing Banks under as on 10.03.2022				
Sr. No.	Banks	Targets FY 2021-22 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed	Sr. No.	Banks	Targets FY 2021-22 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed
1	BANK OF BARODA	11.17	20.63	184.69	1	ICICI BANK LTD	2.59	0.23	8.72
2	CANARA BANK	4.40	6.54	148.64	2	INDIAN BANK	2.80	0.92	32.86
3	INDIAN OVERSEAS BANK	1.43	1.73	120.98	3	BANK OF MAHARASHTRA	0.95	0.36	37.89
4	BRKGB	5.14	5.73	111.48	4	UCO BANK	3.19	1.44	45.14
5	UNION BANK OF INDIA	5.28	5.69	107.77	5	STATE BANK OF INDIA	19.86	9.13	45.96
Source: PMEGP Portal									

उन्होने योजनांतर्गत आईसीआईसीआई बैंक (8.72%), इंडियन बैंक (32.86%) बैक ऑफ महाराष्ट्र (37.89%), यूको बैंक (45.14%) एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (45.96%) की प्रगति आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष बहुत कम व असंतोषजनक होने का सूचित किया।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, आरएमजीबी एवं बैक ऑफ महाराष्ट्र)

<u>Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि दिनांक 10.03.2021 तक योजनांतर्गत 12,505 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से 4,741 आवेदन स्वीकृत किए गए है एवं 3,294 आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है।

Progress as on 10.03.2021								
Sr. No.	Bank	Target	Forwarded (FI)		Sanction (FI)		Disbursement (FI)	
			Total Applications	Amount (In Crs)	Total Applications	Amount (In Crs)	Total Applications	Amount (In Crs)
A	Public Sector Bank	6291	8986	2457.87	3059	959.73	2159	441.49
B	Private Sector Bank	1976	950	1235.21	345	547.51	165	200.56
C	Regional Rural Bank	1352	1887	216.97	1164	123.27	858	75.15
D	Co-operative Sector Bank	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
E	Small Finance Bank	263	197	141.20	98	62.51	68	12.83
F	Others(RFC, SIDBI)	118	198	308.08	75	112.78	38	47.51
Grand Total		10000	12505	4389.59	4741	1806.04	3294	777.78

उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि शाखाओं में लम्बित आवेदन पत्रों को अतिशीघ निस्तारण कर पोर्टल पर अद्यतन करें एवं आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक एवं बीआरकेजीबी को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बधाई प्रदान की एवं इंडियन ओवरसीज बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक को अच्छे कार्य के लिए सराहना की ।

उन्होने बताया कि एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई इंडसइंड बैंक एवं यस बैंक के द्वारा योजनांतर्गत नगण्य प्रगति रही है उन बैंकों से नए वित्तीय वर्ष में अच्छा कार्य करने के लिए अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक एवं यस बैंक)

Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि दिनांक 24.02.2022 तक योजनांतर्गत 17,894 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से 981 आवेदन स्वीकृत किए गए है एवं 382 आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है।

Progress as on 24.02.2022

Sr. No.	Bank Name	Targets (No. of A/c)	Forwarded		Sanctioned		Disbursed	
			No. of Applications	Amount (In Cr)	No. of Applications	Amount (In Cr)	No. of Applications	Amount (In Cr)
A	Public Sector Bank	762	6236	338.41	248	13.69	78	3.25
B	Private Sector Bank	70	365	19.56	12	0.74	1	0.49
C	Regional Rural Bank	159	2273	106.30	229	6.93	111	2.91
E	Small Finance Bank	7	68	4.80	1	0.50	1	0.32
F	Others(RFC, SIDBI)	2	10	1.29	1	0.20	0	0.00
Grand Total		1000	17894	939.43	981	43.93	382	13.93

उन्होने समस्त सदस्य बैंकों से आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Special Central Assistance Scheme SC/ST

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 11,850 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28.02.2022 तक मात्र 3,484 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 29.40% उपलब्धि है।

प्रतिनिधि, अनुजा निगम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लगभग तीन तिमाही व्यतीत होने के पश्चात भी एससी/एसटी पॉप योजना के तहत बहुत ही नगण्य प्रगति है एवं लगभग 8,000 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित है जिसके निस्तारण के लिए समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में दिनांक 18.03.2022 तक 14,51,290 खातों में कुल 11,312 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। दिनांक 18.03.2022 तक श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है:

BANKWISE DISBURSEMENT UNDER PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA (PMMY) as on 18.03.2022 for FY 2021-22

[Amount Rs. in Crore]

Sr No	Bank Name	Shishu (Loans up to Rs. 50,000)			Kishore (Loans from Rs. 50,001 to Rs. 5.00 Lakh)			Tarun (Loans from Rs. 5.00 to Rs. 10.00 Lakh)			Total		
		No Of A/Cs	Sanction Amt	Disbursement Amt	No Of A/Cs	Sanction Amt	Disbursement Amt	No Of A/Cs	Sanction Amt	Disbursement Amt	No Of A/Cs	Sanction Amt	Disbursement Amt
1	Public Sector Bank	121799	258	239	75362	1872	1763	30955	2637	2546	228116	4767	4548
2	Private Sector Bank	875413	2429	2429	182702	2025	2025	10083	610	609	1068198	5065	5063
3	Regional Rural Bank	3933	14	13	23296	340	318	554	43	41	27783	397	373
4	Small Finance Bank	84394	297	297	38882	506	506	3917	279	279	127193	1082	1082
	Grand Total	**1085539**	**2998**	**2978**	**320242**	**4744**	**4612**	**45509**	**3569**	**3476**	**1451290**	**11312**	**11065**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 कुछ दिन ही शेष रहे जिसमें प्राप्त करने हेतु समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु सदस्य बैंकों से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>Stand Up India Scheme (SUI) for F.Y. 2021-22</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिनांक 23.03.2022 तक राज्य में 6,119 आवेदनों में राशि रु. 1,384.74 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए व वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 23.03.2022 तक 980 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं राशि रु. 235.63 करोड़ के ऋण वितरित किए गए जो कि बेहद कम प्रगति है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उनके अधीन समस्त शाखाओं को निर्देशित करें कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>District Level Special KCC Campaign for Animal Husbandry and Fisheries Farmers</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में डेयरी कृषकों को संतृप्ति स्तर तक किसान क्रेडिट कार्ड

(KCC) ऋण उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 15 नवम्बर 2021 से 15 फरवरी, 2022 तक तीन माह का राष्ट्रव्यापी डेयरी/फिशरीज़ केसीसी संतृप्ति अभियान चलाया गया है।

दिनांक 18.03.2022 तक पशुपालन व मत्स्य पालन के तहत प्रगति निम्न प्रकार है:

Progress under KCC Campaign for Animal Husbandry & Fisheries from 15.11.2021 to 18.03.2022									
Sr. No.	Particulars	Cumulative No. of Applications under Animal Husbandry				Cumulative No. of Applications under Fisheries			
		Received	Accepted	Sanctioned	Rejected	Received	Accepted	Sanctioned	Rejected
A	All Banks	63207	59181	28711	17229	428	425	56	176

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि शाखाओं को निर्देशित करें कि केसीसी संतृप्ति अभियान के तहत डेयरी/फिशरीज़ के लम्बित आवेदन पत्रों अतिशीघ्र निस्तारण करवाना सुनिश्चित करावें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसओपी (SOP) के अनुसार केसीसी संतृप्ति अभियान के लम्बित आवेदनों की प्रगति एवं लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि की निगरानी सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि केसीसी संतृप्ति अभियान के तहत जिला कोटा में माननीय वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में मेगा शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है अतः उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि कोटा जिले के शाखाओं को इस संबंध में जागरूक करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि

- राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक प. 1(3) कृषि-1/एम.सी./2021 दिनांक 17.06.2021 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2021 व रबी 2021-22 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है। जो कि राजस्थान के 33 जिलों मे क्रियान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में फ़सली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवम बंटाईदार कृषको द्वारा फसलों का बीमा किया गया है।

- पीएमएफ़बीवाई रबी 2021-22 के अंतर्गत दिनाँक 15.12.2021 तक केंद्रीय पोर्टल (NCIP) पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Loanee Application Count	1,51,26,14
Non Loanee Application Count	7,82,472
Total Sum Insured (Rs.)	22,962.34 crs.
Total Area Insured	40.28 Lacs Hect.
Total Farmer Share (Rs.)	430.81 Cr
Gross Premium (Rs.)	2548.86 Cr

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम सत्र रबी 2021-22 के तहत BOB, UCO, BRKGB, RMGB बैंकों द्वारा अवगत करवाया गया है कि रबी 2021-22 मौसम के तहत कुछ शाखाओं द्वारा अंतिम दिवस से पूर्व ही फसल बीमा प्रीमियम PAY GOV के माध्यम से संबन्धित बीमा कंपनी को प्रेषित कर दिया गया था लेकिन उक्त प्रीमियम राशि तकनीकी समस्या यथा RTGS राशि शाखा को वापस लौटने / गलत प्रीमियम राशि प्रेषित करने के कारण शाखा के PMFBY Wallet में जमा (Credit) नहीं हो पायी है PMFBY एप्लिकेशन portal पर अभी तक Unpaid/ Pending है।
- इस संबंध में कृषि विभाग से अनुरोध है कि भारत सरकार से challan reconcilation हेतु रबी 2021-22 मौसम के लिए PMFBY पोर्टल पुनः Reopen करवाने हेतु अनुरोध करने का श्रम करवाये।

(कार्यवाही : कृषि विभाग)

- संयुक्त सचिव और सीईओ, पीएमएफबीवाई, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने PMFBY/ RWBCIS के तहत समस्या/गलती /त्रुटियों/चूक के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त दावों के लिए और उनके निस्तारण के लिए समिति के गठन के संबंध में पत्र संख्या 13017/03/2020-Credit- II FTS No. 86881 दिनांक 09.09.2020 जारी किया है।
- इस संबंध में, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार, 8 बैंकों यथा बीओबी, बीआरकेजीबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सीसीबी, एचडीएफसी, पीएनबी और आरएमजीबी ने संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ जानकारी को भारत सरकार की Higher Power Committee को प्रेषित करने के लिए राजस्थान सरकार प्रस्तुत किया है।

Details of Total Cases reported by Banks to High Level Committee, GoI for the Rajasthan state under PMFBY (State as a Whole)		
Sr. No.	**Bank**	**No. of Cases**
1	State Bank of India	2776
2	Bank of Baroda	11482
3	Punjab National Bank	162
4	UCO Bank	13
5	BRKGB	23563
6	RMGB	1047
7	HDFC Bank	3524
8	CCBs in various Districts	405
	Grand Total	**42972**

- जिला कलेक्टर, चुरू ने दिनांक 03.02.2022 को आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार को संबोधित पत्र में सूचित किया है कि चुरू जिले के कई किसानों को PMFBY पोर्टल पर गलत पटवार हलका और नीति को अपडेट न करने के कारण PMFBY का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।
- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने दिनांक 03.02.2022 के पत्र के माध्यम से एसएलबीसी, राजस्थान से अनुरोध किया है कि बैंकों द्वारा उच्च स्तरीय समिति को रिपोर्ट किए गए बचे हुए मामलों की सूची की पुन: जांच करने के लिए बैंकों को निर्देश दें क्योंकि बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार को रिपोर्ट किए गए मामलों और ज़िला कलक्टर, चुरू को रिपोर्ट किए गए मामलों के बीच अंतर है।
- एसएलबीसी, राजस्थान ने दिनांक 04.02.2022 के पत्र के माध्यम से सदस्य बैंकों से कृषि विभाग, राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर, चुरू को प्रस्तुत सूची की फिर से जांच करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Details of Cases reported by Branches in Churu District to District Collector which has not received claims under PMFBY for various seasons (Churu District)						Data submitted by banks after rechecking as on 24.03.2022
Sr. No.	**Bank**	**Due to Wrong Patwar Halka**	**Due to Non Updation of Policy on NCIP portal**	**Total Pending Cases**		
		No. of Cases	**No. of Cases**	**No. of Cases**		**No. of Cases**
1	State Bank of India	834	10277	11111		Not Reported
2	Punjab National Bank	1910	20813	22723		26760
3	Bank of Baroda	2375	8525	10900		11355
4	BRKGB	4381	14407	18788		21157
	Grand Total	**9500**	**54022**	**63522**		**59272**

- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा डाटा प्रेषित करने के लिए लंबित है। उन्होने भारतीय स्टेट बैंक को सही डाटा प्रेषित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

- राजस्थान सरकार के कृषि विभाग से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर विचार करें।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि रबी 2021-22 मौसम के लिए challan Generation के लिए PMFBY पोर्टल पुनः Reopen करवाने हेतु अनुरोध पत्र भारत सरकार को प्रेषित किए जाने से सूचित किया ।

उन्होने बताया कि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने PMFBY/ RWBCIS के तहत समस्या/गलती /त्रुटियों/चूक के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त दावों के लिए और उनके निस्तारण के लिए गठित समिति के समक्ष उनके कार्यालय द्वारा 43,278 प्रकरण प्रेषित किए गए है ।

शिक्षा ऋण (Education Loan)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि बैंकों द्वारा वर्ष 2021-22 में दिसम्बर तिमाही तक राज्य में 9,651 छात्रों को राशि रू 333.36 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 43102 छात्रों पर बकाया राशि रू 2083.31 करोड़ है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 3,861 खातों में रु 135.27 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

Doubling of Farmers Income by 2022

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि केंद्रीय बजट 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने की घोषणा की थी। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के कार्यबिन्दु पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (कृषि से संबन्धित योजनाओं) की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी।

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय वृद्धि हेतु निम्नलिखित योजनाओं में प्रगति इस प्रकार है:-

Progress under Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 28.02.2022 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Rajasthan Agro-Processing Agri-Business, Agri-Export Promotion Policy-2019 as on 28.02.2022

Sr.No.	Bank Name	Applications Sanctioned	Total Project Cost	Total Loan Amount Sanctioned	Amt. of Subsidy Sanctioned
		No.	(Amt. in Cr)	(Amt. in Cr)	(Amt. in Cr)
A	Public Sector Bank Total	595	1265.25	712.70	133.79
B	Private Sector Bank Total	213	602.89	312.57	31.54
C	Regional Rural Bank Total	15	17.86	11.81	1.34
D	Cooperative Sector Bank Total	106	32.14	26.47	7.47
E	Small Finance Bank Total	13	27.71	17.13	1.18
	Grand Total	952	1953.95	1085.03	176.30

उन्होने बैंकों को अच्छी प्रगति के लिए बधाई दी एवं समस्त लम्बित आवेदन पत्रों को निस्तारण करने एवं पात्रतानुसार एआईएफ़ योजना में कवर करने के लिए बैंकों से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME Scheme)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे राष्ट्र में इस योजना को लोकप्रिय बनाने और शाखाओं और अग्रणी जिला प्रबंधकों को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। दिनांक 21.03.2022 तक बैंक वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Progress under PMFME Scheme as on 21.03.2022

Sr. No.	Bank	Total Application forwarded	Application Sanctioned	Application Rejected	Application Pending
		No.	No.	No.	No.
A	Public Sector Bank Total	740	87	568	85
B	Private Sector Bank Total	83	9	37	37
C	Regional Rural Bank Total	52	6	40	6
D	Cooperative Sector Bank Total	3	0	2	1
E	Small Finance Bank Total	18	1	14	3
Grand Total		896	103	661	132

उन्होने बताया कि पीएम-एफ़एमई योजना के तहत आवेदन पत्रों की रिजेक्शन की दर बहुत ज्यादा है अतः बैंकों से अनुरोध है कि बैंकों शाखाओं को निर्देशित करें कि अतार्किक कारणों से आवेदन पत्रों के रिजेक्ट नहीं करें एवं लम्बित आवेदन पत्रों को अतिशीघ्र निस्तारण करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि **कृषि अवसंरचना निधि के तहत** दिनांक 21.03.2022 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 21.03.2022

Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned App. Approved by Bank & pending for Disb.		Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank		Application Pending with Bank		Application Rejected by Bank	
		No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)
A	PUBLIC SECTOR BANKS TOTAL	567	558.39	459	446.91	95	142.98	364	303.93	19	16.96	89	94.52
B	PRIVATE SECTOR BANKS TOTAL	138	195.11	74	75.67	10	19.62	64	56.05	33	48.69	31	70.74
C	REGIONAL RURAL BANKS TOTAL	3	2.95	3	2.95	0	0.00	3	2.95	0	0.00	0	0.00
D	COOPERATIVE SECTOR BANKS TOTAL	156	26.42	127	21.01	28	7.10	99	13.91	21	3.05	8	2.36
E	SMALL FINANCE BANK TOTAL	16	14.33	15	13.53	1	0.70	14	12.83	1	0.80	0	0.00
F	OTHERS TOTAL	10	1.06	9	0.95	4	0.43	5	0.52	1	0.11	0	0.00
	RAJASTHAN TOTAL	890	798.25	687	561.02	138	170.83	549	390.19	75	69.61	128	167.62

समस्त बैंकों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं वितरण हेतु अनुरोध है। साथ ही उक्त योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भी अनुरोध है।

उन्होने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत 75 आवेदन पत्र राशि रू 69.61 करोड़ के ऋण स्वीकृत आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं में ऋण वितरण हेतु लम्बित है अतः उक्त आवेदन पत्रों में पात्रतानुसार ऋण वितरण करवाना सुनिश्चित करावें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अध्यक्ष, एसएलबीसी, राजस्थान ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के लक्ष्य आवंटित करने से पूर्व राज्य में संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए एवं एसएलबीसी से चर्चा कर अंतिम रूप से आवंटित किया जाना चाहिए ।

(कार्यवाही : केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना नोडल एजेन्सी)

एजेंडा क्रमांक 7:

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

राज्य के समस्त जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार है:

100% से अधिक 8 जिलों में,	71%-100% 12 जिलों में,
61%-70% 6 जिलों में,	51%-60% 6 जिलों में,
41%-50% 1 जिले में	40% से कम शून्य जिले में है.

भारतीय स्टेट बैंक का माह दिसम्बर 2021 में साख जमा अनुपात 60.09% है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से बेंचमार्क 60% के लगभग बराबर है।

आईडीबीआई का माह दिसम्बर 2021 में साख जमा अनुपात 55.89% है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से बेंचमार्क 60% से कम है।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने आईडीबीआई बैंक से अनुरोध किया कि आगामी त्रैमास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से बेंचमार्क 60% साख जमा अनुपात प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: आईडीबीआई बैंक)

NPA Position

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसम्बर, 2021 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 4,38,729 करोड़ है तथा कुल एनपीए ऋण राशि रू 20,218 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.61% है। कृषि क्षेत्र में एनपीए 8.33%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 4.15%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 3.74% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 6.00% है।

<u>सरफेसी एक्ट, 2002, राको (रोड़ा) में लंबित प्रकरण</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,34,724 प्रकरण राशि रु 2,941 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 82,582 प्रकरण राशि रु 1,726 करोड़ के 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 31-12-2021 तक कुल 952 प्रकरण राशि रू 303 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 605 मामले राशि रू 189 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं।

उन्होने राजस्व विभाग से अनुरोध किया कि बैंक ऋण वसूली हेतु लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को लक्ष्य प्रदान करें ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्व विभाग के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थिति नहीं होने पर उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं आगामी बैठक में सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा पूरी तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से सहभागिता किए जाने के लिए निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कृषि क्षेत्र में 8.33% गैर निष्पादित आस्ति (NPA) है एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाता है तो बैंक ऋण वसूली में काफी अच्छी प्रगति होगी एवं बैंकों में कृषि ऋण प्रवाह के लिए सकारात्मक माहौल पैदा होगा । राजस्थान सरकार से इस मुद्दे पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने बताया कि राको रोड़ा एक्ट के तहत जिला हनुमान गढ़ एवं दौसा जिलें में भूमि की सफल नीलामी होने के पश्चात भी नीलामी राशि वापस लौटानी पड़ी । वर्तमान में राको रोड़ा एक्ट के तहत लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे बैंक ऋण वसूली पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है ।

National Strategy for Financial Education (2020-2025)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि

- वर्ष 2020-2025 के लिए वित्तीय शिक्षा हेतु दूसरी राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE) द्वारा सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों (RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA), DFS और अन्य सरकार के मंत्रालयों एवं अन्य हितग्राहियों (डीएफआई, एसआरओ, आईबीए, एनपीसीआई) के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता (टीजीएफआईएफएल) पर तकनीकी समूह (अध्यक्ष: डिप्टी गवर्नर, आरबीआई) के तत्वावधान में निर्धारित की गयी है। NSFE दस्तावेज़ को FSDC-SC द्वारा 18 जून, 2020 को आयोजित अपनी 24 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- NSFE: 2020-2025 जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए सशक्त बनाकर भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के दृष्टिकोण का समर्थन करने का इरादा रखता है, जो कि उनके पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- नीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 सी' दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करता है। '5 सी' सामग्री, क्षमता, समुदाय, संचार और सहयोग हैं।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कि एसएलबीसी बैठक में वित्तीय समावेशन को एक महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत करने के लिए उन्होने प्रसन्नता व्यक्त की। राजस्थान में 8000 से अधिक बैंक शाखाएँ हैं जिनमें से 3000 से अधिक ग्रामीण बैंक शाखाएँ हैं। प्रत्येक ग्रामीण शाखा को प्रति माह एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है किन्तु उक्त लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे जो कि बेहद चिन्ता जनक है । पूर्व में भी एसएलबीसी की उपसमिति की बैठक में सभी बैंकों से अनुरोध किया गया था कि यदि संभव हो तो इन कार्यक्रमों को न केवल ग्रामीण, बल्कि अर्द्ध-शहरी और शहरी शाखाओं में भी संचालित करें, जिससे राज्य का समग्र विकास हो सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने एमएसएमई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला है, जिनका राज्य को संज्ञान लेना चाहिए। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि के मुद्दे को क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई द्वारा भी अवगत करवाया गया। इस संबंध में शीघ्र ही नियंत्रक, सदस्य बैंकों के साथ एक बैठक आयोजित करने के लिए सूचित किया । राज्य सरकार को अपनी नीतियों से संबंधित लंबित मामलों जैसे बैंक ऋण वसूली, स्टांप शुल्क, R-SETI कार्यान्वयन, भूमि आवंटन इत्यादि प्रकरणों को शीघ्र ही हल किया जाना चाहिए एवं जिला कलेक्टर की कार्यशाला आयोजन के लिए सुझाव प्रदान किया ।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष के शुरूआत में लीड बैंक योजना की भूमिका के बारे में जिला कलेक्टर की कार्यशाला आयोजन करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल होने सूचित किया ।

<u>एजेंडा क्रमांक 10:</u>

<u>डीएलआरसी/डीसीसी बैठकों में बैंकों के जिला समन्वयकों की गैर भागीदारी</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि

- डीसीसी/डीएलआरसी बैठकें जिला स्तर पर बैंकरों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों/विभागों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना के तहत विभिन्न विकास गतिविधियों को लागू करने में समन्वय की सुविधा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच हैं।
- पिछली कुछ तिमाहियों में विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रमुख जिला प्रबंधकों को सूचित किया गया है कि बैंकों के कुछ जिला समन्वयक पूर्व सूचना के बावजूद बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं।
- एलडीएम द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

Sr. No.	District	Date of DLRC/DCC Meetings	Non-Participating Banks
1	Sikar	07.12.2021	Kotak Mahindra Bank, Union Bank of India, Central Bank of India,
2	Pali	08.12.2021	Axis Bank, Indusind Bank, HDFC Bank, Bank of India, Canara Bank, Central Bank of India, Indian Bank, Bank of Maharashtra
3	Barmer	15.12.2021	Punjab National Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Indusind Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank, DCB Bank, City Union, Au Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank
4	Dausa	22.02.2022	Axis Bank, Yes Bank

एसएलबीसी ने पत्र दिनांक 10.01.2022 और 13.01.2022 के माध्यम से संबंधित बैंकों के राज्य प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे सभी जिला समन्वयकों को डीसीसी / डीएलआरसी की बैठकों में पूरी तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से भाग लेने का निर्देश दें।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि पिछली बैठक में भी बैंकों सक्षम स्तर से सहभागिता नहीं की गई एवं आज की बैठक में भी निम्नलिखित बैंकों से सक्षम स्तर सहभागिता नहीं की गई एवं एसएलबीसी व आरबीआई को सूचित नहीं किया गया :

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, यस बैंक एवं बंधन बैंक

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसीसी की विभिन्न बैठकों एवं पत्राचार के पश्चात भी राज्य स्तर विभिन्न विभागों के स्तर पर कार्यवाही लम्बित है इस पर उनके सुझाव एवं सदन में चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरणों के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक संक्षिप्त बैठक आयोजित करें एवं आयोजित विभाग को संयोजन हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित NZC की बैठक में 3,021 बैंकरहित गांवो में बैंक शाखा/पोस्टल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया है उक्त प्रकरण पर उचित कार्यवाही के लिए बैंकों एवं एसएलबीसी से अनुरोध किया।

<u>एजेंडा क्रमांक 11: एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए एक मानकीकृत प्रणाली विकसित करने पर स्थिति रिपोर्ट</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि फिनग्रोथ शहरी सहकारी बैंक ने पत्र दिनांक 03.01.2022 के माध्यम से एसएलबीसी राजस्थान से छोटे आकार के शहरी सहकारी बैंक (Urban Co-operative Bank) होने के कारण एसएलबीसी फोरम की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उनके CBS सिस्टम के द्वारा 33 *.txt फाइल्स सृजित नहीं कर पा रहा है।

सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने चर्चा के पश्चात एसएलबीसी की सदस्यता से हटाने का निर्णय लिया।

<u>एजेंडा क्रमांक:12</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि समस्त जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों से जिले में आयोजित डीसीसी अथवा डीएलआरसी बैठक में अनसुलझे प्रकरण (Unresolved Issues) जो कि एसएलबीसी बैठक में निस्तारण योग्य है एवं जिलें में कोई सफलता की कहानियाँ (Success Story) जो दूसरे जिलें में क्रियान्वित की जा सके उक्त प्रकरण मय पूर्ण विवरण के हमारे कार्यालय को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आज दिनांक तक उपरोक्त सूचना प्रतीक्षित है।

भारतीय रिजर्व बैंक की लीड बैंक योजना के पुनरुद्धार के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उप-समिति की बैठकों में निम्न एजेंडा बिन्दुओं पर चर्चा की जा चुकी है:

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और शाखा नेटवर्क तथा एटीएम का कार्यान्वयन।
- पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और बीसी के नेटवर्क का कार्यान्वयन।
- डिफरेंशियल अप्रोच - FIF By NABARD.

- "भारत नेट" ब्रॉडबैंड का उपयोग करना - जहां कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी या कम कनेक्टिविटी नहीं है।
- बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना।
- नीति आयोग के समग्र आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के अंतर्गत लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (TFIIP)।
- एफएलसीसी शिविरों की प्रगति।
- एफएलसीसी शिविरों व आर-सेटी (RSETI) की प्रगति।
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) की स्थापना।
- प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई के विकास हेतु गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के तहत प्रगति।
- राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों में ऋणों के पुनर्गठन की समीक्षा।
- डब्लूडीआरए द्वारा परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों (एनडब्ल्यूआर) का सुदृढ़ीकरण।
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को ऋण सहायता।

श्री प्रदीप बाफना, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सदन में सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने एवं बैठक के अध्यक्ष महोदय व केंद्र व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही आश्वस्त किया कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

****